THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL, CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) No such Audit Report for the year 1990-91 on the Indore Development Authority has been received by the Ministry or Urban Development, Government of India.

(c) to (e) The Government of Madhya Pradesh has been asked to send the Audit Report for the year 1990-91 alongwith their comments re lating to DDA funded Slum Improve ment Project in Indore.

Unauthorised Construction in Govern ment Quarters

2255. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pelased to state:

(a) whether Government are aware that the employees who have been 'allotted the residential accommodation have built unauthorised extra ,rooms on or bahind their quarters particularly in R. K. Pviram area in connivance with the CPWD authorities;

(b) whether Government propose to conduct any survey in this regard;

(c) whether Government are also aware that Some of these unauthorised accommodations are subletted; and

(d) whether Government propose to demolish such unauthorised cons tructions and take action against such allottees, and lif not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE; IN THE; MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir. Some cases of unauthorised construction have been reported by C.P.W.D. It is not true to say that the unauthorised construction has been carried out in connivance with the C.P,.W.D. authorities.

(b) Survey is being conducted by C.P.W.D. from time to time.

(c) Yes, Sir. Action as per rules has already been initiated against the defaulters on the basis of reports received from C.P.W.D./complainants.

(d) The allottees of quarters in *whose cases construction of extra* rooms were reported by C.P.W.D., notices were issued to them to demolish the unauthorised construction within a stipulated period. In res-ponse to these notices some of the allottees have since removed the unauthorised construction. In the remaining cases, since allottees have failed to demolish unauthorised construction within the stipulated period, action has been initiated against them to cancel the allotments as per rules.

गुजरात में आवास एजेंसियां स्थापित किया जाना

2256. श्री राम सिंह राठवा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के जिलों में आवासों के पुनर्निर्माण के संबंध में राज्य स्तर और जिला स्तर पर आवास एजेंसियां स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये एजेंसियां किन-किन जिले में स्थापित की गई हैं; और

(ग) किन-किन जिलों में ये एजेंसियां अभी तक स्थापित नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) आवास राज्य का विषय होने के नाते, राज्य सरकारें राज्य/जिला स्तरीय आवास संस्थाओं के गठन के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हैं।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य स्तरीय गुजरात आवास बोर्ड 1960 से अस्तित्व में है। गुजरात आवास बोर्ड ने अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, भड़ोंच, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, गांधीनगर, भावनगर और भुज (कच्छ) जिलों में जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित किये हैं। खेदाम, मेहसाना, पंचमहल, अमरेली, साबरकांठा, बनसकांठा, वलसाड़ और सुरेन्द्र नगर जिलों में राज्य आवास बोर्ड का कार्यालय नहीं है। चूंकि इन जिलों में भूमि की कम उपलब्धियां मकानों की कम मांग के कारण, निर्माण कार्य नाममात्र है, इसलिए राज्य सरकार ने आवास बोर्ड का कोई कार्यालय वहां नहीं खोला है। किन्तु बताया गया है कि इन जिलों में निर्माण कार्यों की देखरेख आस-पास के जिलों में स्थापित आवास बोर्ड कार्यालयों द्वारा की जा रही है।

शहरों को "क" और "ख" श्रेणी के अन्तर्गत लाने संबंधी मानदण्ड

2257. **श्री रामजी लाल** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़े-बड़े शहरों को (क) और (ख) श्रेणी के अन्तर्गत लाने के मानदण्ड क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1991–92 और 1992–93 में 28 फरवरी 1993 तक उक्त श्रेणियों में कितने शहरों को शामिल किया गया है ;

(ग) क्या सरकार (क) श्रेणी में आने वाले शहरों के विकास के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यदि हां, तो उक्त अवधि में राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(घ) वर्ष 1993–94 के लिए इस सम्बन्ध में कितना प्रावधान किया गया है और (क) और (ख) श्रेणी में कितने शहरों को शामिल किए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास के प्रयोजनार्थ बड़े शहरों को "क" तथा "ख" श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शहरी विकास राज्य का विषय है। अतः इस बारे में योजनाएं तैयार करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तथा ऐसी विकास योजनाओं के परिव्यय राज्य योजनाओं के भाग के रूप में शामिल किये जाएंगे।

शहरी विकास मंत्रालय ने एक लाख से अधिक आबादी वाले छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के समन्वित विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना शुरू की थी। इस योजना के अन्तर्गत तीन लाख तक की आबादी वाले कुछ शहरों (राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा तथा अनुशंसित) को भी सहायता दी गई थी। शहरों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया था। अब तक, 178.04 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है तथा 518 शहरों को लाभान्वित किया गया है।

तीन लाख तक की आबादी वाले शहरों को लाभान्वित करने के लिए अब इस योजना को संशोधित किया गया